क्रमांक 32/219/95-4जी0एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (ना) हरियाणा राज्य में
4. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 7, जनवरी, 1996.

विषय :– 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखना – विलम्ब की रोकथाम करना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 32/65/82-जी0एस0 I, दिनांक 27.12.82 एवं 32/342/87-जी0एस0 I, दिनांक 10-11-87 एवं 7-8-93 की ओर दिलाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि इस मामले से सम्बन्धित केस इस विभाग को अमूक अधिकारी/कर्मचारी को 50/55 वर्ष की आयु की प्राप्ति से 6 मास से पहले भेजा जाये क्योंकि यदि आवश्यक हो तो नियम अनुसार अधिकारी की सेवा निवृत्ति का तीन मास का नोटिस दिया जा सके । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया था कि केस भेजते समय यह भी उल्लेख किया जाये कि अधिकारी का केस 50 वर्ष की आयु के बाद रिव्यू किया गया है अथवा नहीं । यह अनुभव किया गया है कि इन हिदायतों को कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है और ऐसे केसों में अनावश्यक देरी की जाती है और निर्धारित समय पर केस मुख्य सचिव (सामान्य सेवाए शाखा-I) को रिव्यू के लिए नहीं भेजे जाते । बल्कि कई केस तो निर्धारित आयु (50/55 वर्ष पूरी होने के पश्चात हो इस विभाग को भेजे जाते हैं जोकि एक बड़ी अनियमितता है ।

2. आपसे पुनः अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी की 50/55 वर्ष की आयु प्राप्ति से 6 मास पहले ऐसे केस पूर्ण गोपनीय रिकार्ड सहित इस विभाग को भेजे जाये ताकि यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को तीन मास का नोटिस दिया जा सके । इन हिदायतों की पालना न करने पर अनुशासानिक कार्यवाही की जायेगी ।

कृपया इन हिदायतों को सभी के ध्यान में ला दिया जाये ।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 32/219/95-4जी0 एस0 I दिनांक 7-2-96

प्रतियां मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव के प्रधान सचिव/सचिव/निजि सचिव/को भेज कर अनुरोध किया जाता है कि वे इन हिदायतों को सभी के ध्यान में ला देवें ।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

मुख्य मंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव के प्रधान सचिव/सचिव/निजि सचिव को
अशा क्रमांक 32/219/95-4 जी0एस0-I, दिनांक 7-2-96